बेचारभाई एस. प्रजापति

बनाम

गुजरात राज्य

आपराधिक अपील संख्या 408/2008

29 फरवरी 2008

नियम 7(2) अवैध संतुष्टि-अभियुक्त, एक पुलिसकर्मी, एक के मालिक से अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकार करना लक्जरी बस जाल बिछाया गया और चिन्हित मुद्रा नोटो के साथ आरोपी पकडा गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और आर. 7(2) के तहत दोषसिद्धी।

उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने साक्ष्य का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया और आरोपी को पाया है।

इन कारणो को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अवसन्नता से ग्रसित है।

वैकल्पिक प्रस्तुतीकरण सजा की कठोरता से संबंधित है। यह घटना लगभग सात साल पूर्व की है एवं अपीलार्थी छः माह से अधिक हिरासत में रहा है। जैसा कि उपर बताया गया है कि सजा में संशोधन के अधीन अपील खारिज की जाती है।

अपीलार्थी/अभियुक्त एक पुलिसकर्मी द्वारा शिकायतकर्ता की जिसमें विवाह पक्ष सवार थे को रोक कर बस से संबंधित दस्तावेजोें की मांग की। परमिट और अन्य कागजात जो क्रम थे अभियुक्त को दिखाये गये। जिसने उक्त दस्तावेजो को रखकर शिकायतकर्ता से कहा कि उक्त दस्तावेज निर्दिष्ट राशि का भुगतान कर प्राप्त करे। शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया। जाल बिझाया गया और आरोपी चिन्हित 250 रूपये के मुद्रा नोटों के साथ पकडा गया। अभियुक्त पर मुकदमा चला और अन्ततः विचारण न्यायालय द्वारा भा. द. स. की धारा 161 और नियम 7(2) का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को एक वर्ष का कठोर कारावास दोनो धाराओ में सजा दी। उच्च न्यायालय में भी असफल रहने पर इस्तगत अपिल की गयी।

अपील खारिज की गयी पर सजा में संशोधन किया गया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने सबूतों का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है और पाया है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता की लक्जरी बस को गंतव्य तक जाने के लिए 200/-रूपये की राशि की मांग की थी और उसे स्वीकार किया था। अपीलार्थी/अभियुक्त से दागी नोट बरामद हुए। इसी प्रकार का परीक्षण अपीलार्थी/अभियुक्त और अपीलार्थी /अभियुक्त की पतलून पर किया गया

और एंथ्रेसीन चूर्ण की मौजूदगी पायी गई। यहां यह भी सुसंस्थापित है कि जाल से पूर्व के पंचनामे से पूरी तरह से मिलान हुई है। इन कारणो को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अवसन्नता से ग्रसित है।

वैकल्पिक प्रस्तुतीकरण सजा की कठोरता से संबंधित है। यह घटना लगभग सात साल पूर्व की है एवं अपीलार्थी छः माह से अधिक हिरासत में रहा है। उक्त सभी तथ्यो के आधार पर न्याय का हित इसी में सबसे अच्छा माना जाएगा अगर सजा को हटाकर भुगती अवधि व दोषसिद्धी को बनाया रखा जाए यहा यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 7(2) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा छ महिने है। इन कारणों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अवसन्नता से ग्रसित है।

2. सजा के संबंध में यह घटना लगभग सात साल पूर्व की है एवं अपीलार्थी छः माह से अधिक हिरासत में रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 7(2) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा छः महिने है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर न्याय का हित इसी में सबसे अच्छा माना जाएगा अगर सजा को हटाकर भुगती अवधि व दोषसिद्धी को बनाया रखा जाए।

आपाराधिक अपीलीय न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील 2008 का सं.

गुजरात उच्च न्यायालय के अपराधिक अपील संख्या 1289/1993 में अहमदाबाद के अंतिम निर्णय दिनांक 24.08.2007 से.

अनिरूद्ध पी. मयी, रूचा ए. मयी और संजीव कुमार अपीलार्थी के लिए चौधरी।

प्रतिवादी के लिए हेमंतिका वांही और पिंकी।

न्यायालय का निर्णय डाॅ. अरिजीत पासायत जे. द्वारा दिया गया।

1 अपील की अनुमति दी गई।

2. हस्तगत आपत्ति अपीलार्थी के द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश गुजरात उच्च न्यायालय के पारित आदेश जिसमें अपीलार्थी की अपील को खारिज के विरूद्ध है।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान उच्च न्यायाधीश भावनगर द्वारा पारित दिनांक 05.11.1993 के निर्णय और आदेश विशेष केस संख्या 09/1991 को चुनौती दी गई जिसमे अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7(2) और 161 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और प्रत्येक अपराध के संबंध में एक वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

4. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है।

रामिकदास हरगोविंददास द्वारा एक लक्जरी बस शादी की पक्षकारन/पार्टी को महुवा से सेलाना तक के लिए दिनांक 12.12.1990 को किराये पर लिए। शिकायतकर्ता के अनुसार गिलाबाई जसाबाई मेहता जी भारत ट्रेवलर्स के जो बस में उपस्थित थे। बस प्रातः के 6 या 6.15 पर आसनचोकडी पहुची तब अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा लक्जरी बस को रोककर दस्तावेजो की मांग की गई जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा परमिट और अन्य दस्तावेज दिखाए गए थे।

हालांकि पुलिस के कर्मचारियो द्वारा कागजातो को अपने पास रखा गया।

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा 250/-रूपये प्रवेश शुल्क के नाम से मांगे गए। शिकयतकर्ता ने अपीलार्थी से अनुरोध किया जो कि उस समय पीएसआई था कि उन्हे जाने दे क्योकि उस समय बस में शादी की पार्टी के लोग थे हालांकि प्रार्थी द्वारा 250/- रूपये मांगने पर शिकायतकर्ता ने मालिक के निर्देशानुसार मना कर दिया। अभियोजन पक्ष ने आगे प्रकरण में पक्ष रखा कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को कहा कि 250/- रूपये का भुगतान 10 बजे तक कर दस्तावेज इसी जगह से प्राप्त कर ले जहा बस रोकी थी अगर शिकायतकर्ता देरी से आता है तो वह खूटवाडा पुलिस थाने पर भुगतान करे। यह कहते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा बस के चालक भगवान भाई रणछोड भाई को एक रसीद जारी की कि परमिट

और अन्य दस्तावेज उसके द्वार लिए गए है। इसके बाद चालक को सेलाना गांव बस ले जाने की अनुमति दी गई। इसके बाद शिकायतकर्ता महुवा लौटा और उसने घटना का विवरण बस के मालिक को बताया। यह सुनकर बस के मालिक द्वारा किसी भी प्रकार संतुष्टि के खिलाफ था क्योकि उसके पास बस के सभी दस्तावेज अकृत्रिम थे। इसलिए मालिक ने फैसला लिया कि वह भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो भावनगर से संपर्क करें। तदनुसार शिकायतकर्ता लक्जरी बस का मालिक और एक रामजी भाई जो लक्जरी बस के मालिक का बडा भाई है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो भावनगर के कार्यालय गए और श्री भट्ट पी 01 भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो भावनगर से मिले जिन्हे मामले से अवगत कराया और शिकायत दर्ज करायी। अभियोजन पक्ष का प्रकरण आगे यह है कि दो पंचो को बुलाकर यह बताया गया कि उन्हे किस उद्देश्य के लिए बुलाया गया है, जिस पर शिकायत पढकर उन्हे सुनायी गयी और वह पंच साक्षी बनने के लिए सहमत हो गए। उन्हे एन्थ्रेसीन चुर्ण के उद्देश्य और उपयोग के बारे में भी बताया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 100/- रूपये के दो मुद्रा नोट और एक 50ध्.रूपये का मुद्रा नोट कुल 250/- रूपये दिए। इन मुद्रा नोटो के साथ-साथ शिकायतकर्ता, पंचो और अन्य कर्मचारियों के हाथो को भी साधारण प्रकाश में देखा गया और कुछ भी सार्थक दिखाई नहीं दिया। इसके बाद अलमारी से एन्थ्रेसीन चुर्ण वाली बोतल ली गई और कुछ एन्थ्रेसीन चुर्ण को एक खाली कागज में डाला गया और नोटो को

एन्थ्रेसीन चूर्ण से लिप्त किया गया और सामान्य प्रकाश में पुनः देखने पर भी कोई दृश्ययान निशान नहीं दिखा। उक्त मुद्रा नोटो को पुनः पराबेंगनी चिराग के नीचे देखे जाने पर प्रकाश से युक्त नीला सा चूर्ण के निशान दिखाई दिये। फिर शिकायतकर्ता की कमीज की जेब में यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि उसकी जेब खाली है इस पर उसमे उक्त मुद्रा नोट कमीज की जेब में रखे गए। शिकायतकर्ता को समझाया गया कि सामान्य रोशनी में एन्थ्रेसीन पाउडर नही दिखाई देगा बल्कि केवल पराबेंगनी चिराग के अन्तर्गत नीला सा चूर्ण के निशान दिखाई देंगे। खाली कागज मे बचे एन्थ्रेसीन पाउडर को फिर बोतल में वापस डाल दिया गया और अलमीरा में बोतल को रख कर चाबी लगाई गई। खाली कागज को जलाकर नष्ट कर दिया गया। शिकायतकर्ता को निर्देश दिए गए कि वह उसकी कमीज की जेब में रखे मुद्रा नोटो को अपनी जेब मे ही रखे केवल अपीलार्थी/अभियुक्त को देने पर ही छूए और उक्त मुद्रा नोट अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी ओर को नहीं दिए जाए। उक्त दिशा निर्देशो के साथ सिपाही ने अपने हाथ धोए और पराबंेगनी चिराग के अन्तर्गत नीचे देख कर यह सुनिश्चित किया कि एन्थ्रेसीन पाउडर के कोई निशान नहीं थे। प्रारंभिक पंचनामा प्रदर्श 14 बनाया गया। छापा मारने वाला दल फिर खूटवाडा के लिए रवाना हुए कुछ लोग एम्बेस्डर कार में जबकि अन्य जीभ से गए। शिकायतकर्ता को निर्देश दिया गया कि जैसे ही राशि की मांग की जाए और उसे स्वीकार किया जाए तो वह सिर पर हाथ रखकर संकेत देगा और पंच नम्बर 01 हेमन्त

कुमार जयन्तीलाल भारू को निर्देश दिया गया कि वह शिकायतकता की संगत मे ही रहे। इस तरह से अपीलार्थी/अभियुक्त को रंगे हाथ पकडने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता से अवैध परितोषण की मांग कर और स्वीकार करते हुए जाल की व्यवस्था की गई। अभियोजन पक्ष का प्रकरण आगे यह है कि वह खूटवाडा साढे पांच बजे पहुंचे और पी आई मिस्टर भट्ट के निर्देश पर रामजी भाई ठका भाई जो लक्जरी बस के मालिक के बडे भाई थे, खूटवाडा पुलिस स्टेशन में गए यह पूछने के लिए कि पीएसआई मौजुद था या नहीं हालांकि पीएसआई पुलिस थाने में मौजुद नहीं था तो उन्होने एक घंटे इंतजार करने का फैसला किया। यह अभिकथित है कि एक घंटे के भीतर पुलिस जी थाने की तरफ गई इसलिए पंच नम्बर 01 को शिकायतकर्ता के साथ पुलिस थाने में भेजा। वह पुलिस थाने पैदल गए इसीलिए अन्य ने भी उन्हे ही अनुसरण किया। शिकायतकर्ता पहली मंजिल पर गया जहा वह अपीलार्थी/अभियुक्त पीएसआई से मिला जो चैम्बर में बेठा था जबकि पंच नम्बर 01 जो शिकायतकर्ता के साथ था वह पीएसआई के चैम्बर के दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा। शिकायतकर्ता द्वारा लक्जरी बस के कागजात सोंपने का अनुरोध किया परंतु अपीलार्थी/अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या वह पैसे लाया यानि अवैध संतुष्टि। शिकायतकर्ता ने सुझाव दिया कि 250/- रूपये से कुछ कम की राशि स्वीकार की जाए जिस पर अपीलार्थी/अभियुक्त ने जवाब दिया कि 200/- रूपये दिए जाए। तदानुसार शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी/अभियुक्त को

200/-रूपये की दागी मुद्रा सोंपी जिसे अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपने बाएं हाथ से स्वीकार की और दाहिने हाथ में रखी और फिर दाहिने हाथ से अपने पतलून की दाहिनी जेब में रख लिए। अपीलार्थी/अभियुक्ता ने फिर उसे अलमीरा में रखा पोर्टफोलियो दिया। इसी बीच शिकायतकर्ता ने शेष 50/-रूपये की राशि अपनी जेब में ही रखी। अपीलार्थी/अभियुक्त ने फिर वह रसीद की मांग की जो अवरोधन के मोके के समय दी गई थी परंतु शिकायतकर्ता ने कहा कि वह रसीद चालक के पास थी। यह अभिकथित है कि उस समय पंच नम्बर 01 केवल पांच फीट की दूरी पर था और उसने शिकायतकर्ता व अपीलार्थी/अभियुक्त के मध्य की बातचीत सुनी। यह अभिकथित है कि शिकायतकर्ता फिर बाहर निकलकर सीढियो के पास आते ही पूर्व में नियोजित संकेत एसीबी के कार्मिक को दिया जो पंच नम्बर 02 ईश्वर लाल गिरधर लाल चैहान के साथ अपीलार्थी/अभियुक्त के चैम्बर की तरफ दौडा। एसीबी निरक्षक ने अपना पहचान पत्र दिखाते हुए अपनी पहचान का खुलास किया और अपीलार्थी/अभियुक्त से उसकी रिवोल्वर ले ली। उस समय अपीलार्थी/अभियुक्त डर गया और उसने अपनी पतलून की जेब से कथित दागी मुद्रा निकालकर अपनी मुट्ठी में रख ली। पीआई एसीबी भावनगर ने तब अपीलार्थी/अभियुक्त को शिकायतकर्ता से मांग करने और 200/-.रूपये इस बाबत स्वीकार करने कि उसने शिकायतकर्ता की बस को गन्तव्य तक जाने की अनुमति देने पर गिरफ्तार किया और अपीलार्थी/अभियुक्त को उसके हाथ मेज पर रखने के लिए कहा और दागी

मुद्रा नोट अपीलार्थी/अभियुक्त से बरामद किए गए। इसके बाद छापेमारी करने वाले दल के हाथों पर एंथ्रेसीन चूर्ण का परीक्षण पराबेंगनी चिराग के नीच किया और जिसमे कोई निशान एंथ्रेसीन चूर्ण के नहीं पाए गए थे। इसी प्रकार का परीक्षण शिकायतकर्ता के हाथो पर व अपीलार्थी/अभियुक्त और अपीलार्थी/अभियुक्त की पतलून पर किया गया और एंथ्रेसीन चूर्ण की मौजूदगी पायी गई। आगे यह भी अभिकथित है कि बरामद की गई मुद्रा नोट 200/-रूपये की तुलना संख्या और मूल्यवर्ग जाल से पूर्व के पंचनामे में उल्लेखित मुद्रा नोटो से की गई और पूरी तरह से मिलान होने पर उक्त नोटो को जब्त किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। शेष दागी मुद्रा 50/-रूपये जो शिकायतकर्ता की जेब में रह गई थी, कि तुलना भी जाल से पूर्व के पंचनामे में उल्लेखित मुद्रा नोटो से की गई और पूरी तरह से मिलान होना पाया गया तत्पश्चात पंचो की उपस्थिती में पंचनामे का दूसरा भाग विस्तृत रूप में तैयार किया गया। मुदम्मल मुद्रा नोट व अपीलार्थी/अभियुक्त की पतलून को संलग्न किए गए। अभियोजन पक्ष का प्रकरण आगे यह है कि अगले दिन शिकायतकर्ता के आगे के बयान लेखबद्ध किए गए और उस समय उसने अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा जारी की गई रसीद पेश की। गवाहो के बयान दर्ज किए गए और अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन की मंजूरी मिस्टर बरार जूनागढ से प्राप्त की।

अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोप पत्र अंतर्गत धारा 7, 12 और 13(1)(क) में दंडनीय अपराध होने पर दाखिल किया गया। विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा धारा 7, 12 और 13(1)(क) सपठित धारा 13(2), 161 भारतीय दंड सहिता में आरोप विरचित किए गए।

जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7(2) और 161 भारतीय दंड सहिता के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील इस आधार पर खारिज की गई कि अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग करना और स्वीकार करना के संबंध मे रिकोर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध था।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य अपर्याप्त है और अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति को स्थापित नहीं कर पाता। अपीलार्थी/अभियुक्त ने सम्पूर्ण समय अपना बचाव यह रखा कि उसे झुठा फसाया गया है। वैकल्पिक रूप से यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्राप्त रिश्वत की राशि को देखते हुए लगाई गई सजा ज्यादा है।

6. राज्य की ओर से प्रतियार्थी ने आदेश का समर्थन किया।

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने सबूतों का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है और पाया है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता की लक्जरी बस को गंतव्य तक जाने के लिए 200/-रूपये की राशि की मांग की थी और उसे स्वीकार किया था।

अपीलार्थी/अभियुक्त से दागी नोट बरामद हुए। छापेमारी करने वाले दल के हाथों पर एंथ्रेसीन चूर्ण का परीक्षण पराबेंगनी चिराग के नीचे किया और जिसमे कोई निशान एंथ्रेसीन चूर्ण के नहीं पाए गए थे। इसी प्रकार का परीक्षण शिकायतकर्ता के हाथो पर व अपीलार्थी/अभियुक्त और अपीलार्थी/अभियुक्त की पतलून पर किया गया और एंथ्रेसीन चूर्ण की मौजूदगी पायी गई। यहां यह भी सुसंस्थापित है कि मुद्रा नोटो की संख्या की तुलना जाल से पूर्व के पंचनामे से पूरी तरह से मिलान हुई है।

8. इन कारणो को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अवसन्नता से ग्रसित हैै।

9. वैकल्पिक प्रस्तुतीकरण सजा की कठोरता से संबंधित है। यह घटना लगभग सात साल पूर्व की है एवं अपीलार्थी छः माह से अधिक हिरासत में रहा है। उक्त सभी तथ्यो के आधार पर न्याय का हित इसी में सबसे अच्छा माना जाएगा अगर सजा को हटाकर भुगती अवधि व दोषसिद्धी को बनाया रखा जाए यहा यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 7(2) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा छः महिने है।

10. जैसा कि उपर बताया गया है कि सजा में संशोधन के अधीन अपील खारिज की जाती है।

याचिका खारिज लेकिन सजा में संशोधन किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नरेन्द्र कुमार मीना ॥ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।